6



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

20रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs 30/-

आनन्दलाल रजक तनय लक्ष्मण रजक उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम जैतपुर तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0 ................आवेदक / निगरानीकर्ता

R 5203-II/17

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद बरगाही तनय तोसेराम बरगाही निवासी ग्राम जैतपुर तह0 जैतपुर जिला शहडोल म0प्र0

2. शासन मध्य प्रदेश ................... अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री भानु प्रताप सिंह द्वारा पेश / 16-5-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल जैतपुर तह0 जैतपुर जिला शहडोल द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 20 / अ–12 / 12–13 में पारित आदेश दिनांक 24 / 04 / 2013 के विरूद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राज0संहि0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक मंडल जैतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 / 04 / 2013 विधि विरूद्ध एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अनावेदक गोविंद प्रसाद बरगाही द्वारा आराजी नं0 1242 / 2 रकवा0. 344 हे0, 1243 / 3 रकवा 0.069 हे0, 1243 / 4 रकवा 0.214 हे0 कुल तीन किता कुल रकवा 0.627 हे0 स्थित ग्राम जैतपुर तहसील जैतपुर के सीमांकन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना नक्शा तरमीम हुये दिनांक 24 / 04 / 2013 को सीमांकन की पुष्टि को जो आदेश पारित किया है वह म0प्र0 भू राजस्व संहित के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह कि विवादित आराजी नं0 1242 एवं 1243 के सम्पूर्ण रकवे की माप किये बिना, सभी बटानम्बर का नक्शा तरमीम हुये बिना, सभी भूमि स्वामियों के कब्जे की भौतिक स्थिति का सत्यापन किये बिना एवं सभी भूमि स्वामियों को

आनन्द लाल रजक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 5203—दो / 2017 निगरानी जिला —शहडौल

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11/8/17 | यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतपुर तहसील जैतपुर जिला शहडौल दारा प्रकरण कमांक 20 अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-4-13 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने जा चुके हैं। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक-1 के आवेदन पर उसके स्वामित्व की ग्राम जैतपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1242/2, 1242/3, 1243/4 के कुल रकबा 0.627 हैक्टर का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 25-5-12 को सीमांकन किया है, जिस पर मेढ़िया कास्तकारों को सूचना की गई है । किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 24-4-13 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि गलत सीमांकन करते गलत नक्शा ट्रेस के आधार पर अन्य पड़ौसी भूमिस्वामियों को प्रभावित किया गया है एंव गलत सीमांकन किया गया है। विचार योग्य है यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख / सहायक | |

अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतपुर तहसील जैतपुर जिला शहडौल दारा प्रकरण कमांक 20 अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24–4–13 यथावत् रखा जाता है।

सदस्य